राज्य योजनान्तर्गत

अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम (AFDP)

वर्ष 2023–24

कार्य योजना की अवधि– 1 वर्ष

कार्य योजना संचालन का स्थल–75 जनपद

कार्य योजना पर व्यय–

चारा उत्पादन किटों के वितरण पर व्यय	– रू0 200.00 लाख
कुल योग	–रू0 200.00 लाख
	(रू0 दो सौ लाख मात्र)

पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम (राज्य योजना)

कार्य योजना

उद्देश्य एवं रूपरेखाः–

मानव जनसंख्या में उत्तरोत्तर हो रही बृद्धि के कारण कृषकों/पशुपालकों द्वारा खाद्यान्न फसलों को प्राथमिकता दिये जाने से चारा फसलों के क्षेत्रफल में निरन्तर कमी हो रही है जिससे पशुओं के लिए हरे चारे समस्या रहती है। जिसके फलस्वरूप पशुओं का स्वास्थ्य खराब रहता है तथा वह अपने नस्ल क्षमता के अनुरूप उत्पादन नही कर पाते है। वर्ष 2019 की पशुगणना के अनुसार उ0प्र0 में 190.19 लाख गोवंशीय पशु, 330.16 लाख महिषवंशीय पशु 9.84 लाख भेड, 144.80 बकरी पाले जाते हैं।

प्रदेश में पाये जाने कुल पशुधन संख्या हेतु आवश्यक हरे चारे, सूखे चारे एवं दाने की सभी श्रोतों को मिलाकर कुल उपलब्धता लगभग 55.85 प्रतिशत हरा चारा, 78.89 प्रतिशत सूखा चारा एवं 13.43 प्रतिशत दाना ही प्राप्त हो पाता है। इस प्रकार 44.15 प्रतिशत हरे चारे, 21.11 प्रतिशत सूखे चारे एवं 84.57 प्रतिशत दाने की कमी है। प्रदेश में पाये जाने वाले कुल पशुधन संख्या को केवल हरे चारा उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश के अन्तर्गत कुल कृषिकृत क्षेत्रफल का लगभग 8.19 प्रतिशत (14.00 लाख हे0) क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी।

चारे के अन्तर्गत सीमित भूमि उपलब्ध होने के कारण प्रदेश में आवश्कता के सापेक्ष चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु चारा क्षेत्रफल में विस्तार किया जाना, उच्च गुणवत्तायुक्त चारा बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा खेती की आधुनिक प्रणाली (मिश्रित एवं अर्न्तवर्ती खेती) अपनाकर चारा उत्पादन किया जाना ही एकमात्र विकल्प है।

उ0प्र0 में कुल बोये जाने वाले कृषि क्षेत्रफल का लगभग 4.64 प्रतिशत हिस्सा (लगभग 7.70 लाख हे0) ही चारा उत्पादन के प्रयोग में लाया जाता है। प्रदेश में उपलब्ध चारा क्षेत्रफल का लगभग 78.28 प्रतिशत (6.03 लाख हे0) भाग सिंचित है।

वर्तमान में खरीफ में 445310 हे0, रबी में 170112 हे0 एवं जायद में 155154 हे0 क्षेत्रफल तथा कुल मिलाकर 770576 हे0 क्षेत्रफल में चारा फसलों की खेती की जा रही है। जिसके लिए खरीफ/जायद में लगभग 1.90 लाख कु0 एवं रबी में 0.61 लाख कु0 तथा कुल 2.52 लाख कु0 चारा बीज की आवश्यकता होती है। विभागीय प्रक्षेत्रों से चारा बीज की उक्त आवश्यकता के सापेक्ष लगभग 11000.00 कु0 चारा बीज की ही आपूर्ति सुनिश्चित हो पाती है जो कुल आवश्यकताका लगभग 4.37 प्रतिशत है। शेष 2.41 लाख कुंटल चारा बीज की प्रदेश में कमी है जिसकी पूर्ति पशुपालक निजी स्रोतों एवं स्थानीय बाजारों से क्रय कर करते हैं।

अतः अधिक से अधिक पशुपालकों को प्रमाणित चारा बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से **राज्य योजना के अधीन अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम** अन्तर्गत प्रदेश में उपलब्ध पशुधन हेतु समस्त 75 जनपदों में 4000.00 हे0 क्षेत्रफल में हरा चारा उत्पादन के प्रोत्साहन हेतु प्रत्येक चयनित लाभार्थी को कम से कम 0.1 हे0 तथा अधिकतम 0.5 हे0 क्षेत्रफल हेतु रू0 500.00 प्रति इकाई की दर से (0.1 हे0 क्षेत्रफल) चारा बीज निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के लिए धनराशि रू0 200.00 लाख (रू0 दो सौ लाख मात्र) की मांग प्रस्तावित की जा रही है। उक्त कार्य योजना वर्ष 2023–24 की खरीफ/रबी/जायद सीजन में क्रियान्वित करने हेतु प्रस्तावित की जा रही है। प्रश्नगत योजनान्तर्गत कुल 40000 पशुपालकों को लाभान्वित किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रदेश के सभी 75 जनपदों में हरा चारा उत्पादन हेतु प्रत्येक जनपद की भौगोलिक स्थिति, सिंचित दशा तथा फसल सीजन के अनुसार चारा उत्पादन किट पशुपालकों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। प्रदेश में लगभग 80 प्रतिशत पशुपालन का कार्य लघु एवं सीमांत कृषकों/पशुपालकों द्वारा किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में योजना को व्यापक रूप से पशुपालकों के

लाभोन्मुखी बनाने हेतु न्यूनतम 0.1 हे0 तथा अधिकतम 0.5 हे0 सीलिंग निर्धारित की गयी है। जनपदवार लाभार्थियों की संख्या, आच्छादन लक्ष्य, **परिशिष्ट–01** पर संलग्न है।

उक्त कार्य योजना वर्ष 2022–23 की खरीफ/रबी/जायद सीजन में कियान्वित करने हेतु प्रस्तावित की जा रही है।

योजना का उद्देश्यः–

1– प्रदेश में चारे की कमी को दूर करने में सहायता करना।
2– पशुपालकों को दुग्ध व्यवसाय अपनाने हेतु प्रोत्साहित करना।
3– पशुओं को हरा एवं पौष्टिक चारा उपलब्ध कराना।
4– पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार तथा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना।
5– पशुओं के मृत्यु दर में कमी आयेगी।
6– हरे चारे का उत्पादन बढ़ाकर दुग्ध उत्पादन लागत में कमी लाना।

योजना का कियान्वयनः–

1– प्रस्तावित कार्यक्रम प्रदेश के सभी 75 जनपदों में संचालित की जायेगी।
2– 75 जनपदों में कुल 40000 पशुपालकों का चयन कर 4000हेक्टेयर क्षेत्रफल में अतिरिक्त हरा चारा आच्छादन किया जायेगा।
3– कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी को कम से कम 0.1 हे0 क्षेत्रफल तथा अधिकतम 0.5 हे0 क्षेत्रफल में बुवाई हेतु निःशुल्क चारा बीज उपलब्ध कराया जायेगा।
4– कार्यक्रम अन्तर्गत पशुपालकों को खरीफ/रबी/जायद हेतु कुल रू0 5000.00 प्रति हे0 की दर से चारा बीज निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा, जिसमें सर्वप्रथम बीज को प्राथमिकता दी जायेगी।
5– किसी लाभार्थी द्वारा 0.1 हे0 से अधिक तथा 0.5 हे0 तक चारा बीज लिये जाने पर अथवा चारा बीज के मूल्य में बृद्धि या कमी होने पर लाभार्थियों की संख्या कम या अधिक हो सकती है।
6– चारा प्रजातियों में मुख्यतः उन्नत प्रजातियों की बहुकटाई वाली चरी, मक्का, लोबिया, बाजरा,जई, बरसीम आदि का चारा बीज उपलब्ध कराया जायेगा।
7– चारा बीजों की उपलब्धता कृषि विश्वविद्यालय, राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों, राज्य/भारत सरकार के उपक्रमों के माध्यम से सुनिश्चित करायी जायेगी।
8– **प्रस्तावित कार्यक्रम पूर्णतया मौसम आधारित है। वित्तीय स्वीकृति निर्गत होने के समय जो मौसम (खरीफ/रबी/जायद)चारा फसलों के अनुकूल होगा उसी फसल के चारा बीजों की निःशुल्क आपूर्ति सुनिश्चित करायी जायेगी।**

पात्रता की शर्तेंः–

1– लघु/सीमान्त श्रेणी के कृषकों/पशुपालकों, जिनके पास 1.0 हे0 से अधिक जोत न हो, को वरीयता दी जायेगी। आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड एवंखतौनी की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2– पात्रता सुनिश्चित करने हेतु कृषक/पशुपालक कम से कम 02 बडे दुधारु पशु पालता हो।
3– लाभार्थी के पास चारा फसल की सिंचाई हेतु पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित हो।
4– पी0सी0डी0एफ0 के अन्तर्गत संचालित प्राथमिक दुग्ध उत्पादकसहकारीसमितियों के सदस्य भी पात्र होंगे।
5– अनु0जाति/अनु0जनजाति/अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों एवं महिलाओं की नियमानुसार भागीदारी सुनिश्चित की जाये।

लाभार्थियों के चयन की प्रकियाः–

1– प्रमुख हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

2– विज्ञप्ति प्रकाशन के उपरान्त विकास खण्ड स्तर पर स्थापित पशु चिकित्सालयों पर आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे तथा प्राप्त आवेदन पत्रों को पंजिका में तिथिवार अंकित कर प्राप्ति रसीद दिनांक सहित आवेदक को उपलब्ध करायी जायेगी।

3– प्राप्त आवेदन पत्रों में से संबंधित पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्साधिकारी द्वारा पात्रतानुसार सूची तैयार कर जनपद स्तर पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

4– संबंधित जनपद के मुख्य पशुचिकित्साधिकारी द्वारा प्राप्त सूची को समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

5– सूची के अनुमोदनोपरान्त लाभार्थियों की संख्या अधिक होने पर विकास खण्डवार **पहले आओ तथा पहले पाओ** के आधार पर वरीयता सुनिश्चित की जायेगी।

चयन समिति का गठनः–

पात्र लाभार्थियों का चयन पशुपालन विभाग द्वारा निम्नानुसार गठित समिति द्वारा किया जायेगा–

- मुख्य पशुचिकित्साधिकारी – **अध्यक्ष**
- सम्बन्धित उपमुख्यपशुचिकित्साधिकारी – **सदस्य/सचिव**
- सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी – **सदस्य**
- जिला कृषि अधिकारी/नामित सदस्य – **सदस्य**
- प्रबन्धक/सामान्य प्रबन्धक पी.सी.डी.एफ. अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य – **सदस्य**

लाभार्थियों की संख्या एवं आच्छादित क्षेत्रफलः–

प्रस्तावित कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि से 75 जनपदों में लगभग 4000 हे0 क्षेत्रफल आच्छादित होगा। प्रति लाभार्थी 0.1 हे0 की दर से कुल 40000 लाभार्थियों को निःशुल्क चारा बीज उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रति लाभार्थी को उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशिः–

चयनित लाभार्थियों को नगद धनराशि का भुगतान नहीं किया जायेगा। नगद धनराशि के स्थान पर 0.1 हेक्टेयर में खरीफ, रबी एवं जायद में बुवाई हेतु पृथक–2 चयनित लाभार्थी को कुल मिलाकर रू0 500.00 के समतुल्य चारा बीज निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। वित्तीय स्वीकृति निर्गत होने के समय जो मौसम चारा फसलों के अनुकूल रहेगा, उसी फसल के चारा बीजों की निःशुल्क आपूर्ति सुनिश्चित करायी जायेगी।

कार्यक्रम पर कुल अनुमानित व्ययः–

प्रस्तावित कार्यक्रम के अन्तर्गत 75 जनपदों में 4000हे0 क्षेत्रफल आच्छादन हेतु प्रति लाभार्थी 0.1 हेक्टेयर की दर से 40000 लाभार्थियों को चारा बीज उपलब्ध कराने पर कुल रू0 200.00 लाख (रू0 दो सौ लाख मात्र) का व्यय अनुमानित है।

योजना का अनुश्रवण–

योजना के क्रियान्वयन का पूर्ण उत्तरदायित्व जनपद के मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों का होगा। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी अपने अधीनस्थ उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पशु चिकित्साधिकारी, पशुधन प्रसार अधिकारी तथा कार्यरत चारा निरीक्षकों के सक्रिय सहयोग से सम्पादित कराया जायेगा।

योजना के क्रियान्वयन में आवश्यकता पड़ने पर जिला कृषि अधिकारी/सम्भागीय कृषि प्रसार अधिकारी एवं सम्बन्धित अन्य विभागों के अधिकारियों का भी सहयोग प्राप्त करेगें। चारा उत्पादन किट के वितरण का पूर्ण लेखा–जोखा (रिकार्ड) सम्बन्धित पशु चिकित्सालय तथा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कार्यालय में रखा जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी का होगा, जिसमें लाभार्थियों की सूची निम्न प्रारूप पर तैयार कर रखी जायेगी साथ ही उक्त सूचना निदेशालय को भी उपलब्ध कराई जायेगी।

क्र0 सं0	लाभार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	लाभार्थी का पता	लाभार्थी की श्रेणी (सामान्य/अ0पि0व0/अनु0जा0 एवं अनु0जनजा0)	लघु/सीमांत/अन्य कृषक	चयनित क्षेत्रफल हे0 में	चारा बीज किट का नाम एवं मात्रा	वितरण की तिथि	लाभार्थी का मोबाइल नं0	लाभार्थी का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

निदेशालय
प्रशासन एवं विकास
पशुपालन विभाग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ